संख्या–687/xvi/05/7(24)/05

प्रेषक,

मनीषा पंवार
अपर सचिव
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
रेशम
प्रेमनगर,देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांक०9जून,2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 मे आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं के कियान्वयन हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–541/रेशम/ तक0 अनु0/दिनांक 12,मई 2005 के कम में आपके पत्रांक/161/एक–1(1)/2005–06 दिनांक 26 अप्रैल, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु आयोजनेत्तर पक्ष के अवचनबद्ध मदो में प्राविधानित रूपये 3800 हजार (रूपये अड़तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन/आवंटन मे रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

3– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–527–A/XXVII(1)/2005/दिनांक 26,अप्रैल 2005 में दिये गये निर्देशो,शासन से समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों तथा बजट मैनुअल के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4–किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया(स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5–अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

6– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन/पुर्नरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

7–व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8–व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

9–व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/ व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जावेगा।

10–लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यों तथा अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों के आधार पर ही आगणन गठित कर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11–धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके केवल आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31/3/2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जाये।

12–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसले कृषि कर्म–00–आयोजनेत्तर 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास–00–01–अधिष्ठान के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जावेगा।

13–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–222/वित्त अन0–2/दिनांक.30/5/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव

संख्या–687/XVI/05/7(24)/05/तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, उत्तरॉचल,ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा,देहरादून।
2–वित्त अनुभाग–2,उत्तरॉचल शासन।
3–वरिष्ठ कोषाधिकारी गोपेश्वर(चमोली)/नैनीताल/देहरादून।
4–गार्ड फाईल।
5–राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या–687/xvi/05/7(24)/05/दिनांक मई 2005 का संलग्न

रेशम विभाग उत्तरांचल के लिए अनुदान संख्या–29–आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का विवरण

अनुदान सं0–29

लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनेत्तर

119–बागवानी और सब्जियों की फसलें

07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास

0701–अधिष्ठान

(धनराशि रू0 हजार में)

क0सं0	मद का नाम	वर्ष 2005–06 के लिये अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि	लेखानुदान के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली शेष धनराशि
1	04–यात्रा भत्ता व्यय	300	0	300
2	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50	0	50
3	07–मानदेय	75	0	75
4	08–कार्यालय व्यय	200	0	200
5	11–लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	100	0	100
6	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100	0	100
7	17–किराया उपशुल्क, कर एवं स्वामित्व	200	0	200
8	19–विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय	50	0	50
9	22–आतिथ्य व्यय	40	0	40
10	25–लघु निर्माण	500	0	500
11	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	100	0	100
12	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	500	0	500
13	29–अनुरक्षण	200	0	200
14	31–सामग्री एवं सम्पूर्ति	1000	0	1000
16	42–अन्य व्यय	50	0	50
16	44–प्रशिक्षण व्यय	60	0	60
17	45–अवकाश यात्रा	100	0	100
18	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय	100	0	100
19	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	75	0	75
	योग :	3800	0	3800

कुल 3800 हजार (रूपये अड़तीस लाख मात्र)

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव।